न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री भेरूसिंह पिता खीमसिंह जी चुण्डावत निवासी नवलसिंह जी का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री उदयसिंह पिता मूलसिंह जी चुण्डावत निवासी नवलसिंह जी का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री भगवतसिंह पिता हुक्मसिंह जी चुण्डावत निवासी नवलसिंह जी का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री भोपालसिंह पिता कुन्दनसिंह जी चुण्डावत निवासी नवलसिंह जी का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री राजेन्द्रसिंह पिता कुन्दनसिंह जी चुण्डावत निवासी नवलसिंह जी का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री भेरूसिंह पिता कुन्दनसिंह जी चुण्डावत निवासी नवलसिंह जी का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्रीमती संतोष कंवर पुत्री कुन्दनसिंह जी चुण्डावत निवासी नवलसिंह जी का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द हाल निवासी खुमाणपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (रासज0)
6. श्रीमती प्रेमकंवर बेवा कुन्दनसिंह जी चुण्डावत निवासी नवलसिंह जी का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आमेट दिनांक
26–10–2016 प्रकरण संख्या 06/2012 वाद

————/————

उपस्थित :–1– श्री कन्हैयालाला चोर्डिया अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–7

----/----

निर्णय **दिनांक 15—03—2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1 वादी द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 6, 7 तथा अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध विभाजन एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र के संलग्न परिशिष्ठ **''अ''** की कूल भूमि किता—29 रकबा 3.85 हैक्टर ग्राम नवलसिंह जी का खेड़ा में स्थित है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा व शेष हिस्सा राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रतिवादी संख्या—1 से 7 का है। उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतएव विधिवत विभाजन करवाया जाकर निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में दिनांक 17—8—2012 को प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक—तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की और से दिनांक 12—12—2012 को एक—तरफा कार्यवाही अपास्त किये जाने का आवेदन स्वीकार किया गया तथा अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25—7—2013 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सभी मौके पर अलग—अलग काश्त कर रहे है तथा यह कथन किया कि मौखिक पाविारिक समझौते के अनुसार गांव की आबादी भूमि में वादी को रोड़, मौके की जमीन दी गई तथा बदले में प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारियों को खेती की 3 बीघा अलग से चट्टानी भूमि दी गई, जिस पर प्रतिवादीगण ने अपने मकान बनाये तथा मकानों के पास ही कृषि भूमि को श्रम व धन से आबाद किया। काउण्टर क्लेम भी प्रतिवादीगण द्वारा पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के पूर्वज में पारिवारिक समझौते अनुसार चट्टानी व उसके आस—पास की भूमि प्रतिवादीगण को अलग भी दी गई, जो 3 बीघा के आस—पास थी तथा इसके बदले गांव में आबादी भूमि वादीगण को दी गई। प्रतिवादीगण द्वारा चट्टानी भूमि की खातेदारी घोषणा चाहते है। अतएव चट्टानी भूमि का खातेदारी अधिकार उन्हें दिलवाया जाय।

उपरोक्त काउण्टर क्लेम का जवाब वादीगण द्वारा देते हुए निवेदन किया कि भूमि संयुक्त खातेदारी की है। अतएव विभाजन किया जाना है, प्रतिवादीगण ने कोई सुढ़ृड़ तथ्य काउण्टर क्लेम में वर्णित नहीं किये है। अतएव काउण्टर क्लेम खारिज किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 9–10–2014 को तनकी निम्नानुसार कायम की :–

1. *आया परिशिष्ठ "अ" में वर्णित कृषि भूमि का नियमानुसार विभाजन किया जाकर वादी का 1/3 (एक बटा तीन) हिस्सा वादी के अलिग खाते कराने का वादी अधिकारी है एवं निषेधाज्ञा प्राप्त सकरने का अधिकारी है।*

..... जिम्मे वादी

2. *अनुतोष*

दिनांक 5–11–2015 को प्रतिवादीगण द्वारा आवेदन पेश कर निवेदन किया कि काउण्टर क्लेम पर तनकी नहीं बनी है। अतएव तनकी बनाई जाय। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 5–11–2015 को ही उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी अपीलान्ट को दिनांक 26–11–2015 से 29–9–2016 तक कूल–11 अवसर देकर 29–11–2016 को अंकित किया कि आयन्दा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर स्वतः बन्द समझी जायेगी। दिनांक 26–10–2016 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया तथा दिनांक 26–10–2016 को प्रकरण में बहस सुनकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार आमेट से विधिवत विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का निर्णय व डिक्री पारित की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26–10–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 6–3–2017 को पेश की।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–10–2016 की जानकारी नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की उन्हें सूचना नहीं दी तथा उसके अधिवक्ता द्वारा भी उन्हें बिना सूचना दिये हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर कर दिया। दिनांक 9–2–2017 को अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी हुई तथा जानकारी से अन्दर मयाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

उपरोक्त आवेदन के खण्डन का जवाब वादी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा देते हुए कथन किया गया कि निर्णय दिनांक से ही अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी है। न्यायालय से निर्णय की जानकारी दिये जाने का कोई आधार नहीं है। अपीलान्ट को शहादत हेतु 12 बार से अधिक अवसर दिया गया,

परन्तु साक्ष्य अपीलान्ट प्रतिवादी उपस्थित नहीं की गई। इसी कारण उनके वकील ने हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में शुरू से ही गैर–जिम्मेदार रहे है। एक–तरफा निरस्त करवाने के बाद जवाब हेतु 6 मौके लिए तथा शाहदत के लिए 12 मौकों के बाद भी शहादत प्रस्तुत नहीं की है।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की दफा'–5 जाब्ता मयाद पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही अपास्त होने के बाद जवाब हेतु अनेक अवसर दिये गये तथा शहादत हेतु भी 12 अवसर लेकर भी करीब 10 माह में प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। यह सब इन तथ्यों का द्योतक है कि अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा न्यायालय व प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रकरण में जहां तक अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा बिना सूचना हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया गया, इस हेतु अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता के विरूद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई, इसकी कोई साक्ष्य नहीं है। न्यायालय स्तर से अपीलान्ट प्रतिवादी को सूचित किये जाने का कोई विधिक व तारकीक आधार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा यह भी व्यक्त नहीं किया गया कि उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 9–2–2017 को किस प्रकार हुई। किसी भी पक्षकार को अपनी स्वेच्छा से प्रकरण में न्यायिक कार्यवाहियों में मनमर्जी से उपस्थित/अनुपस्थित होने को अनुमत नहीं किया जा सकता।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट वादी द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर R.B.J. (24) 2017 पेज 122 प्रस्तुत की है, जिसमें अधिवक्ता पर दोषारोपण कर मयाद कण्डोन नहीं किये जाने का न्यायिक अभिमत वर्णित है, जो इस प्रकरण से सुसंगत है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज किया जाना उचित समझते है। हालांकि अपील बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है, परन्तु प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के अधिवक्ता तथा औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता की गुणावगुण पर सुनी गई बहस पर भी हम अपना अभिमत व्यक्त करना उचित समझते है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर है कि काउण्टर क्लेम आधार पर तनकी नहीं बनी तथा काउण्टर क्लेम बाबत कोई विवेचन निर्णय में नहीं किया गया।

प्रकरण में वस्तुतः काउण्टर क्लेम अत्यन्त अस्पष्ट (VAGUE) है तथाी अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि की वह खातदारी चाहता है उस खेत का नाम अथवा आराजी नंबर भी नहीं बताये है। 3 बीघा चट्टानी भूमि की खातेदारी घोषणा चाही है, परन्तु वह भूमि कोनसी है, इस बाबत् कोई विवेचन/विशिष्ठि वर्णित नहीं की है। अपीलान्ट के तनकी बनाई जाने बाबत् दिनांक 5–10–2015 को किये गये आवेदन को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 5–10–2015 को ही खारिज कर दिया है। जिसकी कोई रिवीजन नहीं की गई है। अतएव अब अपील स्तर पर यह उजर विधिक मान्यता नहीं रखता। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपने काउण्टर क्लेम के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे उसके काउण्टर क्लेम की पुष्टि होती हो। काउण्टर क्लेम के के साथ कोई पारिवारिक समझौते अथवा उसकी पुष्टि की भी कोई साक्ष्य बावजूद अवसर पेश नहीं की गई है। प्रकरण में अधिकतम अपीलान्ट का काउण्टर क्लेम 3 बीघा भूमि अतिरिक्त चाहने का है, जो प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के समय मौका रिपोर्ट से भी प्रकट आ सकता है एवं तद्नुसार रेकार्डेड खातेदारन के मध्य वादी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा वांछित नियमानुसार विभाजन हेतु वांछित वाद में अधिनस्थ द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री को हम किसी प्रकार से तथ्यात्मक अथवा विधि विरूद्ध नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होन से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–2016 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्ठि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1–श्री भेरूसिंह पिता खीमसिंह जी चुण्डावत नि0 नवलसिंह जी का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द अन्य–1

बनाम

1– श्री भगवतसिंह पिता हुक्मसिंह जी चुण्डावत नि0 नवलसिंह जी का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द अन्य–5 व सरकार

अपील नं0 **17/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **आमेट़**..... मुकाम मुक्र्खे.....**26**.....माह.....**10**..... **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**15.....** माह .....**03**..... सन् **2018.....** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री कन्हैयालाल चोर्डिया.....** मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री प्रकाश पालीवाल**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होन से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–2016 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**15.**..... माह ...**03**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

पृथ्वीसिंह पिता श्री तखता जी
दसाणा राजपूत निवासी सुंखार
तहसील कुम्भलगढ़ जिला
राजसमन्द (राज0)

बनाम

1– बाबूसिंह पिता लच्छा जी
दसाणा राजपूत निवासी सुंखार
तहसील कुम्भलगढ़ जिला
राजसमन्द (राज0) अन्य–26
व सरकार

अपील नं0 **22/2012** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **कुम्भलगढ़**..... मुकाम मुक्र्खे.....**12**.....माह.....**01**..... **2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**12**..... माह .....**12**..... सन् **2017.....** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री अतुल पालीवाल**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**राजकीय अधिवक्ता**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–1–2012 यथावत रखा जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**12**..... माह ...**12**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
4. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 5. इजराय हुक्मनामा ..... 6. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।